## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

**पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.**

| मिसल नं | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 32 / 21 | 01.04.2021 | 12/01/2023 |

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराजधरण जाति महाजन निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र–लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 285 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 286 रकवा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 806 रकबा 2.76 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 3.57 है0 भूमि स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी वादी के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी के पिता नाम गिरिराजशरण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि वादी के पिता के बचपन का नाम है किन्तु बाद के अन्य रिकॉर्ड यथा प्रशासनिक, स्कूल, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र आदि में वादी के पिता का गिरिराजधरण दर्ज है दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपुर्वक गिरिराजधरण के स्थान पर गिरिराजशरण दर्ज हो रहा है। वादी के पिता दो भिन्न–भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादी को कृषि विकास कार्यो को करवाने, बैंक लोन आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पिता का नाम इन्द्राज दुरस्ती करवायें तथा वादी अपने पिता का नाम गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण दर्ज करवाये। इस कारण वादी अपने पिता का सही नाम गिरिराजधरण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार है।

यह कि वादी के पिता का नाम गिरिराजधरण के स्थान पर गिरिराजशरण दर्ज हो जाने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने प्रतिवादी से कई बार राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया टाल–मटोल किया, उन्होंनें कोई कार्यवाही नही की तथा दिनांक 12.03.2021 को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस कारण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यह कि वाद कारण विवादित आराजी वादी द्वारा दिनांक 12.03.2021 को प्रतिवादी से वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने का निवेदन करने तथा प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी में वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आदेशित करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि विवादित आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 2078 खसरा नम्बर 285 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 806 रकबा 2.76 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 है0 में वादी के पिता का नाम गिरिराजधरण दर्ज किया जावे तथा वादी के पिता का नाम गिरिराजधरण के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा वर्तमान में ख0न0 285 रकबा 0.07 है0 व ख0न0 286 रकबा 0.74 है0 व ख0न0 806 रकबा 2.76 कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 है0 भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराजशरण जाति महाजन निवासी सीसवाली के नाम खातेदारी दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड ग्राम लक्ष्मीपुरा में प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार के पिता का नाम गिरिराजशरण दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति दस्तावेज–आधारकार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में प्रार्थी के पिता का नाम गिरिराजधरण दर्ज है। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड में भी नाम गिरिराजधरण दर्ज है।

अतः सलंग्न दस्तावेजों फोटो प्रति अनुसार राजस्व रिकार्ड ग्राम लक्ष्मीपुरा मे प्रार्थी के पिता का नाम गिरिराजधरण करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वकील वादी की ओर से सुरेन्द्र कुमार का शपथ प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रकरण में और कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं

चाहते है अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। प्रकरण में जवाब पेश हो चुका है। अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र–लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 285 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 806 रकबा 2.76 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 है0 भूमि भूमि मे वादी  के पिता का नाम गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण दर्ज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड प्रशासनिक, स्कूल, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र आदि में वादी के पिता का गिर्राजधरण दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2041 से 2060 माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हलका लक्ष्मीपुरा भू0अ0निरीक्षक अयाना तह0पीपल्दा मे वादी के पिता का नाम गिरराजधरण दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब मे भी वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र–लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में ग्राम लक्ष्मीपुरा वर्तमान में ख0न0 285 रकबा 0.07 है0 व ख0न0 286 रकबा 0.74 है0 व ख0न0 806 रकबा 2.76  कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 है0 भूमि में वादी के पिता का नाम गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कर. मजिस्ट्रेट

इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इकताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराजधरण जाति महाजन निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री पुष्पेन्द्र सिह हाडा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ........................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा वर्तमान में ख0न0 285 रकबा 0.07 है0 व ख0न0 286 रकबा 0.74 है0 व ख0न0 806 रकबा 2.76 कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 है0 भूमि में वादी के पिता का नाम गिर्राजशरण के स्थान पर गिर्राजधरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 12/01/2023 को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुदयई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजूह सबूत | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | | मुत0 | | |
| मिलान | | | मिलान | | |

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा